न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	20.02.2015	16.10.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री तोलाराम पुत्र श्री किशन चन्द जाति सिन्धी एफ.बी.ओ. मैसर्स मुकेश कुमार दिनेश कुमार शबील शाह की चौकी के पास टोंक निवासी छोटा तखता टोंक।
2—श्री सूरज मल जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नाथू लाल सूरज मल जैन जवाहर बाजार बड़ा कुंआ टोंक राज. निवासी बड़ा तखता टोंक जिला टोंक
3—श्री प्रहलाद राय अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल प्रोपराइटर मैसर्स पंकज आयोडाइज्ड साल्ट इण्डस्ट्रीज नांवा शहर जिला नागौर निवासी रेल्वे स्टेशन के पास नांवा शहर जिला नागौर राज.।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं धारा 51 व 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 श्री विक्रम जैन उपस्थित।

:—निर्णय—: दिनांक 16/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2012 को समय 02:04 पी.एम. पर मैसर्स मुकेश कुमार दिनेश कुमार शबील शाह की चौकी के पास टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से श्री तोलाराम पुत्र श्री किशन चन्द अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री तोलाराम पुत्र श्री किशन चन्द को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री तोलाराम पुत्र श्री किशन चन्द ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **नमक आयोडाइज्ड (माजा गोल्ड)** के 1—1 किलोग्राम के 50 पॉली पैक रखे हुए थे जिस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री तोलाराम पुत्र श्री किशन चन्द को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री तोलाराम पुत्र श्री किशन चन्द के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **नमक आयोडाइज्ड (माजा गोल्ड)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1—1 किलोग्राम के 4 नग मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को अदा कर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमक आयोडाइज्ड (माजा गोल्ड)** 1–1 किलोग्राम के 4 नग मूल पैक में से एक–एक नग को चार साफ व सूखे चौकोर डिब्बों में रखकर, ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–408 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–408 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री तोलाराम पुत्र श्री किशन चन्द जाति सिन्धी मैसर्स मुकेश कुमार दिनेश कुमार शबील शाह की चौकी के पास टोंक निवासी छोटा तख्ता टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स नाथू लाल सूरज मल जैन जवाहर बाजार बडा कुंआ टोंक राज. का खरीद बिल पेश किया। मैसर्स नाथू लाल सूरज मल ने मैसर्स पंकज आयोडाइज्ड साल्ट इण्डस्ट्रीज नांवा शहर जिला नागौर का खरीद बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/4357 दिनांक 26.12.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./734/एफएसएसए/2012/736 दिनांक 06.11.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **नमक आयोडाइज्ड (माजा गोल्ड)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) व 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ मात्र कुछ ही नमनूों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। साथ ही अभिभाषक ने निवेदन किया कि चूंकि अप्रार्थी सं. 2 श्री सूरज मल जैन की मृत्यु हो चुकी है जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश है, अतः अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमक आयोडाइज्ड (माजा गोल्ड)** का विकय कर रहे थे, वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे। साथ ही अप्रार्थी सं. 2 की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **नमक आयोडाइज्ड (माजा गोल्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी सं. 2 की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है तथा शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से शेष अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0